भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1008

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा शिक्षा

1008. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रम हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं/मातृ भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यापक नीति बना रही है;
(ख) क्या चिकित्सा की पाठ्यपुस्तकों के अनुवाद, तकनीकी शब्दावली के मानकीकरण और डिजिटल अधिगम सामग्री के विकास के लिए कोई राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार ने मातृभाषा-आधारित चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं; और
(घ) इस पहल को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है और क्या बजटीय प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। तथापि, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी) द्वारा जारी दक्षता-आधारित चिकित्सा शिक्षा विनियमों के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम एवं मूल्यांकन के लिए द्विभाषी माध्यम का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल तथा तेलुगु जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षण का माध्यम संस्कृत एवं अंग्रेजी के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग ने द्विभाषी शैक्षणिक संसाधनों,

जिनमें विनियम, पाठ्यक्रम, प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली आदि शामिल हैं, का विकास करके तथा क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करने को प्रोत्साहित करके भारतीय भाषाओं में अध्ययन-अधिगम को सुगम बनाया है।

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), दिल्ली तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्ययन विभाग के सहयोग से 13 मार्च, 2026 को क्षमता निर्माण संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इसने "संसाधनी" नामक एक मंच विकसित किया गया है, जिसे श्लोकों के सही उच्चारण, समुचित अर्थ एवं व्याख्या सहित अध्ययन एवं अध्यापन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस पहल के अंतर्गत अष्टांगहृदयम् के प्रथम 15 अध्यायों के लिए एक ई-रीडर भी तैयार किया गया है, जो संहिता सिद्धांत विषय के अध्यापकों को प्रत्येक श्लोक के वास्तविक अर्थ एवं उसकी यथार्थ व्याख्या को समझने एवं स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) तथा एम.डी. (होम्योपैथी) के दक्षता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम का हिंदी में अनुवाद करने की पहल की है। आयोग ने बीएचएमएस एवं एम.डी. (होम्योपैथी) के पाठ्यक्रम, विनियम, दक्षता आधारित मॉड्यूल, ऐच्छिक पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक दिशा-निर्देशों सहित विभिन्न डिजिटल शिक्षण संसाधनों का भी विकास किया है।
